न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील/टीए/7150/2001/भरतपुर</u>

1. दीपचन्द –नाम तर्क
2. चन्द्रभान
3. दुर्गाप्रसाद मृतक–
4. रेवती
5. मेघराज पुत्रगण रामचन्द्र
6. चन्द्रशेखर पुत्र रेवती आदेश दिनांक 5–6–2018 से पक्षकार
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी लखनपुर
   तहसील नदबई जिला भरतपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र बदनसिंह
2. द्रोपा पत्नी गोविन्दसिंह
3. जगतसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
4. कान्ता पुत्री गोविन्द
5. मछला पुत्री गोविन्द नाबालिग जरिये माता द्रोपा
   समस्त जाति जाट निवासी लखनपुर तहसील नदबई
6. हेमलता पुत्री बदन पत्नी रघुनाथ निवासी गुटावली तहसील नदबई
7. बुद्धी पुत्री छुट्टी जाति जाट निवासी लखनपुर तहसील नदबई
8. मेवाराम
9. केदारनाथ
10. पुष्कर
11. मानिकचन्द पुत्रगण हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी लखनपुर, नदबई
12. भूपेन्द्र भूषण
13. श्यामलाल
14. ताराचन्द
15. लक्ष्मीनारायण पुत्रगण बाबू जाति वैश्य निवासी लखनपुर तहसील
    नदबई जिला भरतपुर
16. रामेश्वरी पुत्री श्यासीराम जाति वैश्य निवासी लखनपुर तहसील
    नदबई जिला भरतपुर
17. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>

श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष

श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री विकास पाराशर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री वैभवकृष्ण पारीक, श्री अशोक अग्रवाल एवं श्री मुकेश जैन, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 08.01.2020

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-09-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध ग्राम लखनपुर स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 07बिस्वा एवं 357 रकबा 02बीघा 13बिस्वा भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत कर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित छः तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 04-10-1994 से विवादित आराजी वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश पारित किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की,

जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15-09-2001 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं प्रतिवादी संख्या-6 मानिकचन्द व प्रतिवादी संख्या-9 ताराचन्द ने खसरा नम्बर 141 व 357 की भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी संख्या-1 व 2 बदन व बुद्धी ने अपने बयानों में मौके पर पूर्व में मनबट बंटवारा होना स्वीकार किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध थी, जिसके आधार पर उन्हें अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकारान उपस्थित हो गये थी, जिन्हें साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री किया गया था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित

किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में दर्ज सहखातेदारान की सहमति के बिना मनवट बंटवारे के आधार पर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित करते हुए उनके पक्षकार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश पारित कर दिये, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य थे। उनका कथन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित छः तनकीयात कायम की गयी थी, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकीयात पर किसी प्रकार की कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना वाद को डिक्री कर दिया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्ही तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय सहायक

कलक्टर, नदबई के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम लखनपुर स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 07बिस्वा एवं 357 रकबा 02बीघा 13बिस्वा भूमि बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सहखातेदारी की आराजी को मनबट बंटवारे अनुसार अकेले वादीगण के नाम दर्ज कराने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदोव के आधार पर अनुतोष सहित छः तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 04-10-1994 से विवादित आराजी वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त पारित निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार कोई विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना मौखिक साक्ष्य के आधार पर मनबट बंटवारा होना प्रमाणित मानते हुए वाद को डिक्री किया गया जबकि सहखातेदारों की वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों बाबत् सहमति नहीं थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायेाचित प्रतीत नहीं होता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15-09-2001 की पुष्टि की जाती है। न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में मूल वाद को पुनः

दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर पुनः तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय छः माह में पारित करें।

9. पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के समक्ष दिनांक 25–02–2020 को उपस्थित होकर मूल वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष